न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 56 / 2019 राजस्व अपील

1. हरसहाय पुत्र महादेव जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बीलका तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

<u>अपीलान्ट</u>

<u>बनाम</u>

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।

<u>रेस्पोडेन्ट</u>

<u>अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ पचवारा दिनांक 20.08.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम हरसहाय मु. नं. 65 / 2019 प्रकरण सरकार बनाम हरसहाय अ. धारा 91 राज. लै. रे. एक्ट</u>

उपस्थिति : श्रीराम मीना, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–: निर्णय :–　　　　　　　　　　दिनांकः 18.10.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बीलका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा में अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट हरसहाय पुत्र महादेव जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बीलका तहसील रामगढ पचवारा ने ग्राम बीलका में स्थित आराजी भूमि खसरा नं. 477 / 63 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म चरागाह भूमि पर मूंगफली की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बिना कोई सुनवाई व सबूत का मौका दिये बिना ही इकतरफा मे निर्णय पारित कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 20.08.2019 को बेदखल कर शास्ति कायम करने के साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 20.08.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत

अति. जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है एवं न ही काश्त की है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिवत तामील हुए बगैर ही इकतरफा में निर्णय पारित किया है। जिससे अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका ही नहीं मिला। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 20.08.2019 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2076 खरीफ में ग्राम बीलका तहसील रामगढ पचवारा में स्थित भूमि खसरा नं. 477/63 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म चरागाह भूमि पर मूंगफल की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 20.08.2019 को बेदखल करने एवं तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पूर्व अतिक्रमी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत भूमि राजकीय चरागाह भूमि है। जिस पर अपीलान्ट ने सम्वत 2076 खरीफ में मूंगफली की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 20.08.2019 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। मुकदमा नम्बर 65/2019 उनवानी सरकार बनाम हरसहाय में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Lokesh Kumar Meena
Date: 2019.11.09 16:18:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: